न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 55/2022

दायर दिनांक – 28.07.2022

निर्णय दिनांक – 13.02.2023

जीसीएमएस नं0 – 2022/147

प्रार्थीगण

1. श्री जयनारायण पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जाति माली
2. श्री बाबूलाल पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जाति माली
3. श्रीमती पिंकी दग्दी पत्नी स्व. श्री भोलाराम जाति माली
4. श्री दीपक दग्दी पुत्र स्व. श्री भोलाराम जाति माली
5. श्री रवि दग्दी पुत्र स्व. श्री भोलाराम जाति माली
6. डिम्पल दग्दी पुत्री स्व. श्री भोलाराम जाति माली

समस्त निवासीगण छोटी बस्ती पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।
2. नगरपालिका जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–1.श्री एन.एम.जैन, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2.श्री पैरोकार सरकार, तहसीलदार, पुष्कर।
3.श्री सरफुद्दीन, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 2।

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजीयात के वर्किंग खसरा नंबर 1290 के वर्तमान खसरा नंबर 572 रकबा 0.01 हैक्ट0 किस्म चाह के स्थान पर किस्म सड़क एवं वर्ष

13.2.23

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

1976 के राजस्व नक्शे के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे 1981–82 में दुरूस्ती एवं तरमीम करवाये जाने हेतु तथा वर्किंग खसरा नंबर 1291 के वर्तमान खसरा नंबर 571/1 रकबा 0.07 हैक्ट0 तथा वर्किंग खसरा नंबर 1293 के वर्तमान खसरा नंबर 571/2 रकबा 0.01 हैक्ट0 दर्ज व तरमीम किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 01 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार, पुष्कर द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रार्थना–पत्र के बिंदु संख्या 02 में किया गया कथन के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जांच की गई खसरा नंबर 570 रकबा 0.03 हैक्ट0 गै.मु.चाह, खसरा नंबर 571 रकबा 0.08 हैक्ट0 गै.मु. चबुतरा खाता संख्या 326 जमाबंदी संवत् 2068–71 में वादीगण के नाम दर्ज है एवं खसरा नंबर 575 रकबा 0.01 हैक्ट0, खसरा नंबर 577 रकबा 0.04 हैक्ट0 व खसरा नंबर 572 रकबा 0.01 नगरपालिका पुष्कर के नाम खाता संख्या 693 में दर्ज है। राजस्व नक्शा साबिक व हाल का अवलोकन किया गया, अवलोकन में पाया कि साबिक खसरा नंबर 1290 गै.मु.सडक था जिसके पूर्व दिशा में साबिक खसरा नंबर 1291, 1292, 1293 स्थित है। लेकिन नवीन राजस्व नक्शा संवत् 2038–39 में मौके की स्थिति से एवं साबिक नक्शे से भिन्न नक्शा बना दिया, जिससे मौके एवं रिकॉर्ड का मिलान नहीं होता है। अतः मौके एवं साबिक नक्शे अनुसार एवं नजरी नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जाना नियमानुसार उचित है। प्रार्थना–पत्र के संबंध में अप्रार्थी सं0 2 द्वारा विस्तृत जवाब पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थना–पत्र को संव्यय खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति में बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि दिनांक 05.12.2006 को गठित राजस्व टीम द्वारा तैयार नजरी नक्शा में भी पुष्कर इन होटल, सनसेट होटल के आगे सड़क दर्शायी गयी है तथा पुष्कर सरोवर के 52 घाटों के नजरी नक्शे के अनुसार जयपुर घाट के पास सनसेट होटल के सामने सड़क दर्शायी गयी है। इसके साथ ही तहसीलदार पुष्कर के जवाब प्रार्थना–पत्र में भी यह स्वीकार किया गया है कि साबिक खसरा सं. 1290 पूर्व में गै.मु. सड़क था जिसके पुर्व दिशा में साबिक खसरा सं. 1291, 1292 व 1293 स्थित थे लेकिन नवीन राजस्व नक्शा संवत् 2038–39 में मौके की स्थिति से एवं साबिक नक्शे से भिन्न नक्शा बना दिया गया। वकील अप्रार्थी सं0 02 ने अपने

17.2.23

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

जवाब प्रार्थना–पत्र को ही अपनी बहस मानते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नगरपालिका की भूमि है जिस पर नगरपालिका का ही हक–हिस्सा है अतः उक्त प्रार्थना–पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावे। पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर ने अपने जवाब एवं मौका रिपोर्ट में वर्तमान नक्शे में पूर्व नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्ती की अनुशंषा की है। पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 570 रकबा 0.03 हैक्ट0 गै.मु.चाह, खसरा नंबर 571 रकबा 0.08 हैक्ट0 गै.मु.चबुतरा खाता संख्या 326 जमाबंदी संवत् 2068–71 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं खसरा नंबर 575 रकबा 0.01 हैक्ट0, खसरा नंबर 577 रकबा 0.04 हैक्ट0 व खसरा नंबर 572 रकबा 0.01 नगरपालिका पुष्कर के नाम खाता संख्या 693 में दर्ज है। तहसीलदार पुष्कर ने बहस में निवेदन किया कि साबिक खसरा नंबर 1290 पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु.सडक था जिसके पूर्व दिशा में साबिक खसरा नंबर 1291, 1292, 1293 स्थित है। लेकिन नवीन राजस्व नक्शा संवत् 2038–39 में मौके की स्थिति से एवं साबिक नक्शे से भिन्न नक्शा बना दिया, जिससे मौके एवं रिकॉर्ड का मिलान नहीं होता है। अतः मौके एवं साबिक नक्शे अनुसार एवं नजरी नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जाना नियमानुसार उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा, वर्किंग जमाबन्दी तथा शपथ–पत्र/सहमति पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित प्रार्थी के आराजी कृषि भूमि के वर्किंग खसरा नंबर 1290 के वर्तमान खसरा नंबर 572 रकबा 0.01 हैक्ट0 किस्म चाह के स्थान पर किस्म सड़क एवं वर्ष 1976 के राजस्व नक्शे के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे 1981–82 में दुरूस्ती एवं तरमीम करवाये जाने हेतु तथा वर्किंग खसरा नंबर 1291 के वर्तमान खसरा नंबर 571/1 रकबा 0.07 हैक्ट0 तथा वर्किंग खसरा नंबर 1293 के वर्तमान खसरा नंबर 571/2 रकबा 0.01 हैक्ट0 दर्ज व तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित प्रार्थीगण के आराजी कृषि भूमि

12.2.23
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

के वर्किंग खसरा नंबर 1290 के वर्तमान खसरा नंबर 572 रकबा 0.01 हैक्ट0 किस्म चाह के स्थान पर किस्म सड़क दर्ज किया जावें तथा साबिक राजस्व नक्शे के वर्किंग खसरा 1290 किस्म सड़क के स्थान पर नवीन राजस्व नक्शे में खसरा नंबरान 572 रकबा 0.01 हैक्ट., 575 रकबा 0.01 हैक्ट., 577 रकबा 0.04 हैक्ट. गै.मु. सड़क के रूप में तरमीम किया जावें (संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार)। वर्किंग खसरा नंबरान 1291 एवं 1293 के गठित वर्तमान खसरा नंबर 571 रकबा 0.08 हैक्ट0 के स्थान पर नवीन खसरे 571/1 रकबा 0.07 हैक्ट0 किस्म गै.मु. चबूतरा एवं 571/2 रकबा 0.01 हैक्ट. किस्म गै.मु. चबूतरा सर्जित किये जाते हैं तथा इन्हें नवीन राजस्व नक्शें में तरमीम किये जावें (संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार)। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

13.2.23

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)
पुष्कर (अजमेर)

पटवार मण्डल - पुष्कर तहसील - पुष्कर जिला - अजमेर (राज)

नजरी नक्शा

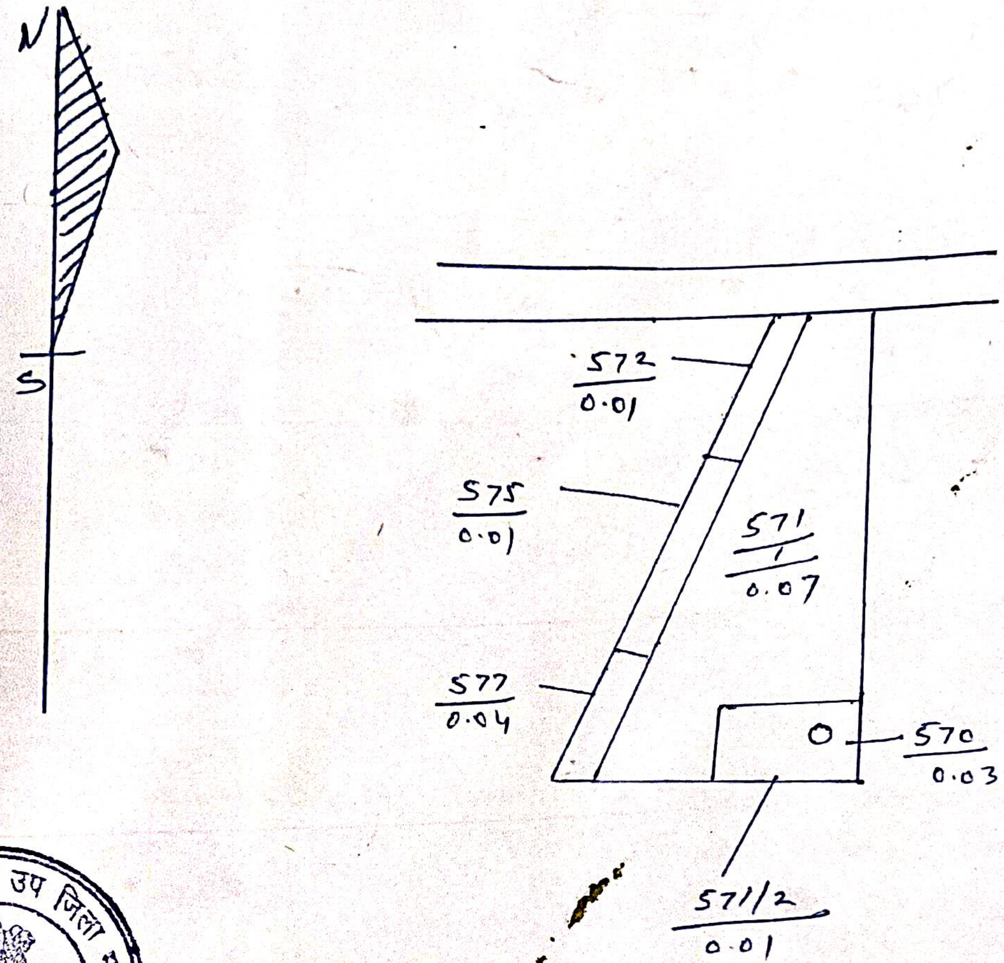

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अज.)

पट- पुष्कर

ILR पुष्कर

तहसीलदार
पुष्कर (अजमेर)

13.2.23
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)